भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1956

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>'स्टार्ट अप' कंपनियों द्वारा पूंजी जुटाए जाने का विनियमन</u>

1956. श्री अमर शंकर साबले :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई 'स्टार्ट अप' कंपनियों ने निजी स्थापनों और शेयरों की बिक्री के माध्यम से पूंजी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में ऐसे लेन-देन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेशकों तथा जनता की सुरक्षा हेतु इस प्रकार पूंजी जुटाए जाने का विनियमन किया जाता है और 'स्टार्ट अप' कंपनियों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है;

(घ) क्या ऐसे लेन-देन अधिक मूल्यों पर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण और निहितार्थ क्या हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (च): "स्टार्ट अप" शब्द न तो कंपनी अधिनियम, 2013/1956 में परिभाषित किया गया है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 में। तथापि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिसंबर, 2015 तक के लिए नई पंजीकृत कंपनियों की संख्या उनकी प्राधिकृत पूंजी सहित नीचे दी गई है -

वर्ष	नई पंजीकृत कंपनियों की संख्या	प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रुपए में)
2012-13	92383	57536.61
2013-14	98437	38873.83
2014-15	64395	31830.72
2015-16 (31 दिंसबर, 2015 के अनुसार)	60489	11985.97

*****